17/3/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। पत्रावली में पूर्व में बहस सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन व मनन करने के पश्चात प्रा० का प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से टंकण करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.04.21 14:44:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner